

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-01, दिनांक-31/10/19

संख्या-1/प्रशि०निजी-03/2018 श्र०सं० 203 /श्रीमती नीलु कुमारी, प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद (अतिरिक्त प्रभार, प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद) को बिहार सेवा संहिता (द्वितीय संशोधन), 2014 के नियम 220 में निहित प्रावधान के तहत छुट्टी पर प्रस्थान करने की तिथि दिनांक 10.9.2019 से 07.3.2020 (कुल 180 दिनों) तक मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्रीमती नीलु कुमारी के अवकाश अवधि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद का अतिरिक्त प्रभार (अपने कार्यों के अतिरिक्त) श्री बबलू प्रसाद, प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद (उग्रवाद प्रभावित) को दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

31/10/19

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापाक-1/प्रशि०निजी-03/2018 श्र०सं० 203 / पटना-01, दिनांक-31/10/19

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सभी पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी०/मनजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/19

सरकार के उप सचिव।